

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा-पत्र

उनवान ..... भगवतीबाई ..... बनाम ..... केदारलाल .....

किस्म मुकदमा ..... धारा - 223 ..... अपील संख्या ..... 18/2020 .....

अभिभाषक अपीलान्त ..... श्री. म. मारदाज ..... अभिभाषक रेस्पोंडेंट .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22-01-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त व उनके अभिभाषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजे लगावाई गई फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुआ। पत्रावली में अभिभाषक अपीलान्त को नोटिस सम्मन पेश किये जाने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा रेस्पोंडेंट ब्रम। लठ 4 के नोटिस सम्मन की तलवी आदिनाद तक नहीं करवाई गई। अतः अपीलान्त व उनके अभिभाषक के अनपस्थित रहने के कारण पत्रावली अद्य हाजरी एवं अद्य पूर्व में स्वारिज दी जाती है। पत्रावली फसल शमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	



(दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



श्री अमर अरुण सि २३० द्वारा  
पत्रा. मी. आई. सी. डी. ला. ५  
जाना रिपोर्ट करे।

न्यायालय भूप्रबन्धा अधिकारी एवं पदेन राजस्व अमील अधिकारी

कोटा केम बारा

राजस्व सचिव पत्र  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
राजस्व अमील अधिकारी  
कोटा (राज.)  
19/2020

श्री गवतीबाई पत्नी मदनलाल पुत्री केदारलाल आयु 40 वर्षा जाति किराड

निवासी कोयला तहसील बारा जिला बारा ----- अमीलांट

बनाम

- 1- केदारलाल पुत्र अमरा जाति किराड
- 2- हेमराज पुत्र केदारलाल जाति किराड
- 3- गोपाल पुत्र केदारलाल जाति किराड
- निवासीगण कोयला तह 0 व जिला बारा
- 4- राज 0 सरकार जये तहसीलदार साहब बारा

विच्छेद अमील बनाराजगी निर्णय उपछाण्ड अधिकारी महोदय

बारा निर्णय दिनांक 26-2-2018 प्रंठ सं 120/2017

अमील अन्तर्गत धारा 223 आरटी. एक्ट

महोदय,

अमीलांट निम्न आधारों पर अमील प्रस्तुति करती है:-

1- यहकि अधिनस्था न्यायालय का निर्णय न्याय कानून एवं तथ्यों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि रेस्पोंड क्रम 1 व 2 द्वारा मिलीभगत कर एक वाद

*(Handwritten signatures)*